समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

भारत-पाक तनाव के बीच हनुमानगढ़ मे स्कूल, कोचिंग और आंगनबाड़ियां 11 मई से बंद।

Publisher

Published on 10 May 2025

जिले मे शिक्षण गतिविधियां स्थगित, लेकिन कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य; आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी।

सवांदाता,हनुमानगढ़,(राजस्थान)

हनुमानगढ़, राजस्थान : भारत और **पाकिस्तान** के बीच बढ़ते तनाव और सुरक्षा की दृष्टि से **हनुमानगढ़ जिला प्रशासन** ने बड़ा कदम उठाया है। **जिला कलेक्टर** एवं **नागरिक सुरक्षा नियंत्रक श्री.काना राम** ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, **2005** की धारा **30** के अंतर्गत **11 मई 2025** से जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में आगामी आदेशों तक अवकाश घोषित किया है। यह आदेश सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि स्कूली बच्चों और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

कौन-कौन सी संस्थाएं रहेगी बंद ?

१. जारी आदेश के अनुसार, यह अवकाश निम्नलिखित संस्थानों पर लागू होगा :
२. सभी राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालय
३. प्रशिक्षण संस्थान
४. आंगनबाड़ी केद्रं
५. मदरसे
६. सभी प्रकार के कोचिंग संस्थान

इस निर्णय का मकसद जिले में शांति बनाए रखना और बच्चों को किसी भी संभावित खतरे से दूर रखना है।

कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य, मिल सकता है प्रशासनिक कार्य

हालांकि सभी शिक्षण गतिविधियां स्थगित रहेंगी, लेकिन संबंधित शिक्षण संस्थानों के अधिकारी और कर्मचारी नियमित समय पर संस्थान में उपस्थित रहेंगे। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसी भी आपात स्थिति में कर्मचारियों को आवश्यक प्रशासनिक कार्य सौंपे जा सकते हैं।

अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई

कलेक्टर श्री काना राम ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई संस्था प्रमुख इस आदेश की अनदेखी करता है या अनुपालन में लापरवाही बरतता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, **2005** के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जनता से अपील : अफवाहों से बचे, शांति बनाए रखे

प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए नागरिकों का सहयोग आवश्यक है।

पृष्ठभूमि : भारत-पाक तनाव के कारण बढ़ाई गई सतर्कता

गौरतलब है कि हाल के दिनों में भारत-पाक सीमा पर बढ़ते तनाव और सीमा पर हमलों की आशंका के कारण कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। हनुमानगढ़ एक सीमावर्ती जिला होने के कारण यहां अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

यह आदेश अगले नोटिस तक प्रभावी रहेगा। यदि भविष्य में स्थिति सामान्य होती है, तो शिक्षण संस्थानों को दोबारा खोलने पर निर्णय लिया जाएगा।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.